न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 513/प्रार्थना–पत्र/2019
(मि0नं0 845/दावा/2019)
दायर 27/07/2019

उनवान

रमेश पुत्र आँकारलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
– वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. कालूलाल पुत्र देवलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
2. आँका पुत्र बिरजीबाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
3. प्रेमचंद पुत्र बिरजीबाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
4. सत्यनारायण पुत्र बिरजीबाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
5. विष्णु पुत्र बिरजीबाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
6. भगवन्तीबाई पुत्री बिरजीबाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
7. ममताबाई पुत्री बिरजीबाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
8. कस्तूरीबाई पुत्री नंदलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
9. कालूलाल पुत्र नारायणीबाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
10. दुलीचंद पुत्र नारायणीबाई जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
11. हीरालाल पुत्र बापूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
12. घांसीलाल पुत्र बापूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
13. गजेंद्र पुत्र बापूलाल लाऔलाद जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
14. रमेशचंद पुत्र बापूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
15. राधेश्याम पुत्र बापूलाल फौत कायम मुकामान
    15/1 सोनू पुत्र राधेश्याम जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
    15/2 गायत्रीबाई पत्नि राधेश्याम जाति भील नि0 महुआखेड़ा तह0 खानपुर
16. कालीबाई पुत्री बापूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
17. प्रभूलाल पुत्र बापूलाल फौत कायम मुकामान
    17/1 रामनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
    17/2 जमकुबाई पुत्री प्रभूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
    17/3 भूलीबाई पुत्री प्रभूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
    17/4 बरधीबाई पुत्री प्रभूलाल जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
18. रूपचंद पुत्र रामरतन जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
19. रामलाल पुत्र रामरतन जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
20. संतोषबाई पुत्री रामरतन जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
21. पुष्पाबाई पुत्री रामरतन जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

22. सीताराम पुत्र रामचंद जाति भील निवासी महुआखेडा तह0 खानपुर
23. पप्पू पुत्री रामचंद जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
24. प्रेमबाई पुत्री रामचंद जाति भील निवासी महुआखेडा तह0 खानपुर
25. लेखराज पुत्र औंकार जाति भील निवासी महुआखेडा तह0 खानपुर
26. मुकुटबिहारी पुत्र औंकार जाति भील निवासी महुआखेड़ा तह0 खानपुर
27. भू अवाप्ति अधिकारी खण्डिया कोलोनी झालावाड़
28. ए यू फाईनेंस कम्पनी शाखा निर्भय सिंह सर्किल झालावाड
29. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर

– प्रार्थी / प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

उपस्थितः– श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट – प्रार्थी / प्रति0नं0 1
श्री संजय गौतम एडवोकेट – अप्रार्थी / वादी

निर्णय

दिनांक 30 / 10 / 2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी / प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 24.07.2019 को जर्ये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर वाद पेश कर माननीय न्यायालय से वादी के पक्ष में डिकी चाही है। धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत केवल और केवल खातेदार ही वाद पेश कर सकते हैं, वादीगण खातेदार नहीं होने से वाद विधि विरूद्ध है। अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रचलित राजस्व विधि में वाद पेश किये जाने से वर्जना है तथा जन रजिस्टर्ड दस्तावेज से वादीगण को किसी भी प्रकार की सहायता माननीय न्यायालय प्रदान नहीं कर सकते । इस प्रकार वादी का वाद विधि विरूद्ध होने के कारण स्वतः ही खारिज होने योग्य होने से खारिज किया जावें

अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है कि वादी का वाद धारा 188 के अलावा धारा 88, 89, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत भी है, जिनमें वादी को वाद पेश करने का हक एवं अधिकार है। वादी ने दिनांक 30.04. 2007 को प्रतिवादी कालूलाल से जर्ये इकरारनामा 22000 / –रू0 में 1.00 बीघा आराजी का इकरार कर राशि अदा की थी। दिनांक 07.12.2016 को प्रतिवादी कालूलाल द्वारा एक इकरारनामा पुनः लेखबद्ध किया और कहा कि ग्राम महुआखेड़ा की खाता सं0 41 के ख0नं0 198 की 9.18 बीघा आराजी में मेरा हिस्सा 1.00 बीघा बनता है। चूंकि उक्त आराजी शामलाती होने के कारण मैं वादी के पक्ष में विकय पत्र निष्पादित नहीं करा पाया हूँ। अब आराजी डूब में आ जाने से वर्तमान में विकय पत्र निष्पादित नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मुआवजा की राशि जो भी आयेगी वह सम्पूर्ण राशि में रमेशचंद वादी को अदा कर दूँगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी तीन जजों की बैंच ने

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

यह निर्णय किया गया है कि यदि 12 वर्ष से अधिक का सम्पत्ति पर कब्जा है तो वास्तविक मालिक है। ऐसी स्थिति में इस स्टेज पर वादी का वाद खारिज किया जाना उचित नहीं है। वाद में साक्ष्य रेकार्ड पर लिये जाने के बाद तनकीयात के विवेचन के बाद वाद को निर्णित किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादी खातेदार नहीं है। ऐसे में यह धारा 188 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत वाद नहीं ला सकते। वहीं वादी के वाद का मुख्य आधार इकरारनामा है जो पंजीकृत नहीं है और अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रचलित राजस्व विधि में वाद पेश किये जाने से वर्जना है। अतः हमारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का विधि विरूद्ध वाद खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि हमारा वाद धारा 188 के अलावा धारा 88, 89, 92ए, 209 के अन्तर्गत भी है, जिनमें हमे वाद पेश करने का अधिकार है। प्रार्थी/प्रति0नं0 1 ने जर्ये इकरारनामा राशि प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी 1.00 वीघा हमें विक्रय की है, जिसे प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1 ने अपने इकरारनामा दि0 7.12.16 में भी स्वीकार किया है। चूँकि आराजी डूब क्षैत्र में आने से वर्तमान में इसका विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हो सकता है। हमारा वादग्रस्त आराजी पर 12 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है। हम अपने वाद को साक्ष्य पेश कर साबित करेंगे। इस स्टेज पर वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी/प्रति0नं0 1 का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादी के वाद का मुख्य आधार इकरारनामा दिनांक 30.04.2007 व 07.12.2016 है तथा इन दोनों इकरारनामों के आधार पर वादी ने ग्राम महुआखेड़ा की खतोनी सं0 41 की 9 किता की 49.19 वीघा आराजी में से प्रति0नं0 1 कालूलाल के हिस्से पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का यह वाद पेश किया है। हमने दोनों दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी ने इन दोनों इकरारनामों की फोटो प्रति वाद-पत्र के साथ पेश की है। इकरारनामा दिनांक 30.04.2007 100/-रू0 के स्टॉम्प पर आलेखित है, यह पंजीकृत नहीं है। इस इकरारनामें में ग्राम महुआखेड़ा की ख0नं0 198 की 9.18 बीघा आराजी में से प्रति0नं0 1 कालूलाल के हिस्से की 1.00 वीघा आराजी का बैचान 22000/- में वादी रमेशचंद्र को किये जाने का उल्लेख है। वहीं इकरानामा दिनांक 07.12.2016 भी अपंजीकृत है तथा दिनांक 30.04.2007 को वादग्रस्त आराजी का विक्रय किये जाने का उल्लेख है। दस्तावेज दिनांक 07.12.2016 अधिकार पत्र की फोटो प्रति है, जिसमें ख0नं0 198 की 9.18 बीघा में से 1.00 बीघा का मुआवजे का चैक रमेशचंद को दिये जाने के अधिकार का उल्लेख है। स्पष्टतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वादी ने अपना वाद धारा 188 के तहत भी प्रस्तुत किया है,

उपखण्ड अधिकारी
डागपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

जबकि इस धारा में केवल खातेदार ही वाद ला सकता है, यहां वादी आराजी का खातेदार नहीं है। ऐसे में यह इस धारा में वाद नहीं ला सकता।

हमने वाद–पत्र का अवलोकन किया, वादी ने अपने वाद पत्र की मद नं0 4 में यह आलेखित किया है कि " यह कि प्रति0नं0 1 के मन में बदनियती आ गई और दिनांक 07.12.16 को दिये गये अधिकार पत्र व इकरारनामा की पालना नहीं कर उक्त डूब क्षैत्र का मुआवजा, प्रति0नं0 1 लेने पर आमादा है। इसलिये प्रति0नं0 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। " वादी इस वाद के माध्यम से दिनांक 30.04.2007 व 07.12.2016 की संविदा की पालना कराना चाहता है, जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है। राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वादी का वाद विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है।

वादी ने अपने वाद की मद नं0 5 में आलेखित किया है कि " यह कि वादी ने प्रति0नं0 1 से कहा कि चलकर मेरे हिस्से में खरीद शुदा भूमि का चैक जर्ये पावर अर्टोनी के माध्यम से जारी करवाकर मुझे दिला दे। इस पर प्रतिवादी नं0 1 के मन में बदयान्ति आ जाने से चैक वादी के नाम बनाने से दिनांक 14.05.2019 को मना कर दिया और यही वाद कारण है। " यहां वादी का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है तथा वर्णित वाद कारण मुआवजे का चैक जारी कराने को लेकर है। इस प्रकार वादी द्वारा वर्णित वाद कारण उदघोषणा का वाद लाने का आधार कत्ई नहीं है। यहां जब वादी को कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो विधिक रूप से इस वाद को आगे चलाये रखना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार यहां हम प्रार्थी/प्रति0नं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से पूर्ण रूप से सहमत हैं और स्पष्टतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद–पत्र संख्या 845/2019 रमेश बनाम् कालूलाल वगैरह खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 30/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.07 12:20:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: